कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर (म0प्र0)

–:: ज्ञापन ::–

क्रमांक 41 /2025–26 शाजापुर, दिनांक 14/05/2025

प्रति,

आयुक्त
जनसंपर्क संचालनालय
विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड़
भोपाल (म0प्र0)

विषय :– शासकीय वाहन की नीलामी विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बावत्।

–––00–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला स्थापना शाजापुर के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शाजापुर के शासकीय वाहन महिन्द्रा जायलो क्रं. एम.पी.–02–एच.सी.–0166 के विक्रय हेतु नीलामी विज्ञप्ति प्रादेशिक स्तर के समाचार पत्र दैनिक भास्कर/नई दुनिया/पत्रिका में प्रकाशित की जाने हेतु आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत् प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा अतिशीघ्र प्रकाशित करवाकर कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– निविदा नीलामी विज्ञप्ति की प्रतिलिपि।

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति,
वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर (म0प्र0)

पृष्ठां. क्रमांक 45 /2025–26 शाजापुर, दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर वेबसाईट www.mphc.in एवं आयुक्त जनसंपर्क की वेबसाईट dpradvt पर उक्त निविदा मय शर्तों सहित अपलोड करवाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बावत् प्रेषित।
2. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग शाजापुर की ओर उक्त शासकीय वाहन की विज्ञप्ति प्रकाशन के अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं न्यायालय प्रांगण में चस्पा किये जाने हेतु जिला नाजिर, शाजापुर को निर्देशित किये जाने हेतु प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय, शाजापुर को माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से प्राप्त आई.डी. अनुसार विज्ञप्ति संबंधित पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
5. जिला नाजिर, शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– निविदा नीलामी विज्ञप्ति की प्रतिलिपि।

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति,
वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाजापुर (म0प्र0)

<u>नीलामी विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय शाजापुर के न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शाजापुर के आधिपत्य शासकीय वाहन महिन्द्रा जायलो क. एम.पी.–02–एच.सी.–0166 को (जहां है, जैसी स्थिति में है) **<u>नीलामी दिनांक 14.06.2025 को प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा</u>** के माध्यम से नीलाम किया जाना है।

नीलामी किये जाने वाले वाहन का विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	वाहन का प्रकार	वाहन कमांक	मॉडल वर्ष	निष्प्रयोजित राशि
1	2	3	4	5
1	जायलो महिन्द्रा	एम.पी.–02–एच.सी.–0166	2010	1,80,000 / –

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर के नाम से देय कराश रूपये 5,000 / – का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर नीलामी में भाग लिया जा सकता है नीलामी संबंधी शेष नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन दिवस / समय में नजारत अनुभाग जिला न्यायालय शाजापुर से प्राप्त की जात सकती है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक **वेबसाइट (www.mph**c.gov.in **)** एवं आयुक्त जनसंपर्क की वेबसाइट dpra.dvtf पर भी देखी जा सकती है।

उपरोक्त महिन्द्रा जायलो वाहन की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्ते निम्नानुसार है :–

<u>निविदा शर्ते</u>

1. शासकीय वाहन महिन्द्रा जायलो कं. एम.पी.–02–एच.सी.–0166 का न्यूनतम अपलेखन मूल्य रूपये 1,80,000 / – (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) (शासकीय बोली) नियत है।

2. उपरोक्त अनुपयोगी / अपलेखित शासकीय वाहन जायलो कार की नीलामी में भाग लेने / बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रूपये 5,000 / – का बैंक ड्राफ्ट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर नीलामी में भाग लेने / बोली लगाने की पात्रता होगी।

3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति / संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली वाले व्यक्ति / संस्था को उनके द्वारा लगायी गयी बोली / स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटाया जावेगा।

4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से व पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत/अस्वीकृत का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा वाहन नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, शाजापुर को प्राप्त होगा।

5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन को केता को प्रदान किया जावेगा।

7. अनुपयोगी शासकीय वाहन को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 (सात) दिवस के अंदर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाजापुर के नाम से जमाकर, वाहन के स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अथवा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

8. संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर, शाजापुर में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर शाजापुर से संपर्क करें।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को कय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी है, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय वाहन को कय करने के पश्चात् केता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय शाजापुर से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विकय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं केता के नाम से रजिस्ट्रेशन एवं बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी केता की होगी।

12. वाहन कमांक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति कय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

13. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष
वाहन नीलामी समिति,